रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 जून, 1987/30 ज्येष्ठ, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MANDI, DISTRICT MANDI, H. P.

NOTIFICATION

Mandi, the 7th May, 1987

No. FDS-MND (A) (3) 48/81-5009-5069.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1) (*e*) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, S. Padamnabhan, District Magistrate, Mandi, District Mandi do hereby order that the rates fixed *vide* Notification No. FDS-MND(A)(3)48/81-v-2400-2550, dated 6th March, 1987 shall remain in force for a further period of two months (w.e.f. 11th May to 10 July, 1987).

S. PADAMNABHAN,
District Magistrate, Mandi,
District Mandi, H.P.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मई, 1987

सं0 होम(ए)-एक(13)1/82.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या होम (ए)-एक(13)-1/82, दिनांक 9-1-1987 जोकि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार (असाधारण) दिनांक 17-1-1987 के अंक में प्रकाशित हुई थी, के संदर्भ में तथा मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला लाहौल-स्पिति में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 11-69/68-गृह (ए), दिनांक 1 जुलाई 1981 के द्वारा पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास को कार्यान्वित करते हुए निम्नलिखित समय के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं:—

जुलाई, 1987
15 से 21 जुलाई
अगस्त, 1987
05 से 11 अगस्त
23 से 29 अगस्त
सितम्बर, 1987
20 से 25 सितम्बर

अक्तूबर, 1987
04 से 10 अक्तूबर
21 से 27 अक्तूबर
नवम्बर, 1987
06 से 12 नवम्बर
दिसम्बर, 1987
अक्तूबर, 1987
08 से 14 दिसम्बर

जनवरी, 1988
06 से 12 जनवरी
फरवरी, 1988
08 से 14 फरवरी
मार्च, 1988
05 से 11 मार्च
23 से 29 मार्च
अप्रैल, 1988
05 से 11 अप्रैल
24 से 30 अप्रैल
मई, 1988
05 से 11 मई

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय जिलाधीश मण्डी मण्डल, मण्डी

आदेश

मण्डी, 8 मई, 1987

विषय:—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस

संख्या पंच-मण्डी-26-24/79-2870.—यत: श्री संसार चन्द सुपुत्र श्री जगत राम, निवासी ग्राम जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर ने वर्ष 1983 में खण्ड विकास अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र बायोगैस प्लांट की स्वीकृति हेतु दिया गया;

और यह एक वर्ष 1986 में श्री भाग सिंह जो कि उपरोक्त श्री संसार चन्द का सगा भाई है कृषि विभाग द्वारा जड़ोल में आयोजित बायोगैस प्रशिक्षण शिविर के समय यह पता चला कि उसके भाई श्री संसार चन्द द्वारा जो प्रार्थना-पत्र बायोगस प्लांट की स्वीकृति हेतु दिया गया था वह स्वीकार हो चुका है और उसने अपने भाई संसार चन्द जोकि लैबनान को जा चुका था के हित में अपने हस्ताक्षर करके ईंटें तथा सीमेंट आदि की रसीद दे कर यह सामग्री प्राप्त की परन्तु उपदान प्राप्त करते समय जो मु0 2146.00 की रसीद दी गई उस में श्री भाग सिंह ने अपने भाई संसार चन्द के हस्ताक्षर कर दिए;

और यह कि मु0 2146.00 की रसीद पर प्रधान ग्राम पंचायत, जड़ोल ने प्रमाणित किया है कि उक्त राशि श्री संसार चन्द को उसके सामने अदा की गई ;

और यह कि अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी, मण्डी मण्डल, मण्डी द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से यह साबित हो चुका है कि प्रधान, ग्राम पंचायत जड़ोल, विकास खण्ड सुन्दरनगर ने झूठा प्रमाण-पत्र दिया और इस प्रकार यह अनाचार के दोषी हैं।

अतः मैं, एस0 पद्म नाभन, उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) (पठित) हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 नियम 77) के अधीन प्रधान ग्राम पंचायत, जड़ोल, विकास खण्ड सुन्दरनगर को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और आदेश देता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें झूठा प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उन का उत्तर इस कार्यालय में एक पक्ष के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी।

एस0 पद्म नाभन,
उपायुक्त,
मण्डी मण्डल, मण्डी।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।